# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—151/2018/225 (2018/00151)**

1. श्रीमती गुलाब देवी पत्नि नाथूलाल पुत्री रामू, जाति नाई, निवासी प्लाट नं0 13, चौधरी स्कूल के पास, रखडी सोडाला, जयुपर जिला जयपुर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. नानगराम पुत्र कानाराम, जाति रेगर, निवासी बोराज, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती केली देवी पत्नि श्योकरण, जाति जाट,
3. हनुमान पुत्र रामू, जाति नाई,
4. मोहनलाल पुत्र रामपाल, जाति कुम्हार,
5. बद्रीनारायण पुत्र रामपाल, जाति कुम्हार,
   समस्त निवासी ग्राम सुरपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 11.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 120/2015.**

**उपस्थितः—**

1. श्री प्रमोद जैन एवं श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांट ।
2. श्री पन्नालाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री एन0एस0 पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4.

## निर्णय

**दिनांकः— 11.7.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अपीलांटस एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 387 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 388 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 389 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 390 रकबा 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम सूरपुरा, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में अवस्थित है जिसका प्रार्थी काबिज काश्त तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । उक्त आराजियात में प्रार्थी के आने—जाने का कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 383/1141 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 382 रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 383 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 391 रकबा

0.16 है0, खसरा नंबर 392 रकबा 0.30 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की आराजी खसरा नंबर 378 रकबा 0.67 है0, खसरा नंबर 380 रकबा 0.47 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 है0, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की आराजी खसरा नंबर 384 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 385 रकबा 0.04 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम सुरपुरा, तह0 मौजमाबाद में स्थित है, में से है, उक्त आराजी खसरा नंबर 378, 380, 384, 385 की पूर्वी मेड पर से होकर व खसरा नंबर 383/1141, 382, 383, 391 की पश्चिमी मेड पर से मध्य में से होकर दक्षिण दिशा से ग्रेवल रोड से उत्तर दिशा में प्रार्थी की आराजी में 478.88 फुट लंबाई में व 15 फुट चौड़ाई में कुल 667.58 वर्गमीटर के रास्ते की आवश्यकता है, जिसे संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र में पीले रंग से दर्शाया गया है, इसलिये उक्त नाप में दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी की आराजी में पहुंच के लिये दिलाया जावे । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी में आने–जाने का अन्य कोई सुविधाजनक व समीपस्थ रास्ता नहीं है । संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में उसको सुविधा मिल सकती है । प्रार्थी रास्ता हेतु भी राशि देय होगी वह जमा कराने हेतु तत्पर है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ते दिये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट की बिना विधिवत् तामील कराये एवं बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही मनमाने तौर पर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी की आराजी है जिसकी भूमि में से अपीलांट को सुने बिना रास्ते के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस पर बात पर गौर नही किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थन पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया वह पूर्णतया धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की परिभाषा के विपरीत पेश किया था, क्योंकि प्रार्थी/रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि सुविधा की दृष्टि से समीपस्थ रास्ता चाहने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया तथा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को सुविधा के अनुसार रास्ता दे दिया जो पूर्णतया गलत व विधि के विरूद्ध है । रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 399 की आराजी में से वर्षो से आवागमन करते आ रहे है । रेस्पो0 अपीलांट की आराजी को जबरन गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के उद्देश्य से तथा अपीलांट को उसकी खातेदारी से बेदखल करने उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट आयी है वह भी पूर्णत गलत व विधि के विपरीत है क्योंकि धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र एक समरी प्रोसिडिंग है इसके अंतर्गत मौका रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय किया जाना उचित व विधिसम्मत् होता है परन्तु जब अपीलांट की अनुपस्थिति में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको

आधार बनाकर अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित किया है वह पूर्णतया गलत व विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने जिस भूमि बाबत् रास्ते के आदेश पारित किये है उस भूमि पर अपीलांटस के पेड़ खड़े है किन्तु अधी0न्याया0 ने उन पेड़ों बाबत् किसी प्रकार की मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया है जिससे भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है । प्रकरण में रास्ते बाबत् गलत व मौके के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत किसी भी खातेदार को अपनी जोत पर आने जाने के लिये सुविधा की दृष्टि से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 11.12.2017 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2017 को पारित किया है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । आदेश की सर्वप्रथम जानकारी गांव में पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर हुई तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 में जाकर जानकारी की तथा आदेश की प्रमाणित प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजात की प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 6.6.2018 को पेश किया जिस पर दिनांक 7.6.2018 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर विधिक सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान रेस्पो0 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट के नोटिस की तामील उसके बड़ भाई हनुमान को कराई गई थी जिससे अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा उसे नोटिस नहीं दिया गया उचित नहीं है । अपीलांट को नोटिस तामील होने के बावजूद जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रही है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र में दर्शाये रास्ते के संबधं में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाकर तथा उस पर आपत्ति पेश होने पर उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 की आराजी पर प्रार्थना पत्र में दर्शाये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समीपस्थ रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने रेस्पो0 विद्वान वकील अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अधी0न्याया0 के निर्णय को अविधिक होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया । यह भी कथन किया अधी0न्याया0 द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत तैयार की गई है जिसके आधार पर पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । आगे यह भी बताया कि मौका रिपोर्ट में रास्ते में विद्यमान पेड़ों व तारबंदी का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अभिभाषक अपीलांट का प्रथम तर्क यह है कि अपीलार्थी को अधी0न्याया0 द्वारा सम्यक रूप से नोटिस तामील नहीं करवाई गई । इसके विपरीत रेस्पो0 अधिवक्ता का तर्क है कि तामीली का प्रश्न अपील न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है । तामीली का प्रश्न जा0दी0 के प्रावधानों के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष उठाना चाहिए । परन्तु अपीलांट द्वारा सीधे ही अपील प्रस्तुत की गई है । इस कारण अपील न्यायालय में तामील का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

10. हम अधिवक्ता रेस्पो0 के इस तर्क से सहमत है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष तामीली के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अपास्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही हाजा न्यायालय के समक्ष गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत की है । अपील न्यायालय को केवल तामीली के बारे में निर्णय नहीं देकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये । अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में पक्षकार की हैसियत से अपना पक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया है । अतः इस स्तर पर तामीली बिन्दु का आक्षेप स्वीकार नही किया जा सकता है ।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दूसरा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया कि तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा प्रेषित दिनांक 7.1.2016 की तथ्यात्मक रिपोर्ट सही नहीं है क्योंकि उनके द्वारा दर्शाये रास्ते पर मौके पर पेड़ एवं वायरिंग की रिपोर्ट नहीं की गई है । अतः आवागमन संभव नहीं है तथा इन तथ्यों का उल्लेख तथ्यात्मक रिपोर्ट में नहीं किया गया है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया निर्णय अविधिक है ।

12. इस पर अधिवक्ता रेस्पो0 ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.1.2016 के संबंध में अधी0न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आधारों पर आपत्ति की थी । अधी0न्याया0 द्वारा उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 28.3.2015 को आपत्ति आवेदन पत्र गुणागवुण पर निरस्त किया गया जिसकी कोई अपील कर चाराजोही नहीं की गई है तथा यह भी कथन किया कि मा0 न्यायालय के समक्ष इस बाबत् एक आवेदन अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था जो मान0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.6.2019 को गुणावगुण पर खारिज किया जा चुका है । तहसीलदार, मौजमाबाद की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.1.2016 को सही मानते हुए यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है ।

13. हम रेस्पो0 अधिवक्ता के तर्क से सहमत है कि तहसीलदार, मौजमाबाद की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.1.2016 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति की थी जो निरस्त की गई तथा हाजा न्यायालय द्वारा भी इस बाबत् आवेदन को निरस्त कर दिया गया । हस्तगत प्रकरण धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत है । इसमें न्यायालय को मुख्यतः यह देखना होता है कि प्रार्थी के पास कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । अपीलांट द्वारा यह तर्क दिया गया कि रेस्पो0 खसरा नंबर 399 में से वर्षो से आवागमन करते आ रहे है । इस कारण अपीलांट के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए

बदनियतिपूर्वक आवेदन पेश किया है । अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये है कि खसरा नंबर 399 में रास्ता विद्यमान हो तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा हो । तहसीलदार, मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.1.2016 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वर्तमान में आवेदित भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 को अविधिक नहीं माना जा सकता है ।

15. अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

16. निर्णय आज दिनांक 11.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**